निगरानी /टीए/221/2006/भीलवाडा
देवीलाल बनाम रामपाल

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>

7-8-2025</td><td>

<u>**एकल–पीठ**</u>
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री सुभाष निम्बावत, अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री धर्मेन्द्र सिंह टांक, अभिभाषक अप्रार्थी

<u>**आदेश**</u>

1. यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को स्वीकार कर दिनांक 20–4–05 को पारित एकपक्षीय डिक्री को अपास्त किया गया।

2. अभिभाषक उभयपक्ष ने निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा निगरानी स्वीकार कर न्यायालय उपखंड अधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–05 निरस्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

3. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा आदेशिका दिनांक 5–8–2025 पर राजीनामा एवं सहमति बाबत् हस्ताक्षर अंकित किये है तथा न्यायालय उपखंड अधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–05 निरस्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। अतः उभय पक्ष के अधिवक्ता के राजीनामा/सहमति अनुसार हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखंड अधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–05 को निरस्त किया जाता है तथा उपखंड अधिकारी भीलवाडा का निर्णय दिनांक 20–4–05 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली आदेश प्रति के साथ लौटाई जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

</td><td></td></tr>
</table>